

**JALAUN POLICE****“Operation Conviction”****दिनांक 22.07.2026**

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली जालौन पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे-प्रथम कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 03 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1- लाली उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह 2- घनश्याम सिंह पुत्र रामप्रताप परिहार 3-ज्वाला सिंह उर्फ शीलू पुत्र दुर्गेश राजावत निवासीगण ग्राम सुढार सालाबाद कोतवाली जालौन जनपद जालौन को मु०अ०सं० 1368/10 धारा 325/120B/211/120 भादवि में "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण घनश्याम सिंह व ज्वाला सिंह को उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा लाली उर्फ भूपेन्द्र को 02 का सश्रम कारावास एवं 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं अभियुक्त घनश्याम सिंह उपरोक्त को मु०अ०सं० 1375/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री हृदेश पाण्डेय
ADGC



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० महेन्द्र प्रताप सिंह
कोर्ट मुहर्रिर



का० सुबोध
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice